संख्या- 211 /2025 / 1145 /चार-2025-1795230

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊः दिनांक 30 मार्च, 2025**

विषय- राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर की अवस्थापना को उन्नत कराये जाने के अन्तर्गत मुख्य संग्रहालय भवन से लगे विस्तारित भवन के प्रथम तल के दो प्रदर्शनी हॉल के उन्नयन हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1414/उ0प्र0सं0नि0-5(86)/2019-2020 दिनांक 28 मार्च, 2025 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 325 /2024 / 2146 /चार-2024-1881/ 2020 दिनांक 11 सितम्बर, 2024 द्वारा राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर की अवस्थापना को उन्नत कराये जाने के अन्तर्गत मुख्य संग्रहालय भवन से लगे विस्तारित भवन के प्रथम तल के दो प्रदर्शनी हॉल के उन्नयन हेतु रू0 582.65 लाख (रू0 पांच करोड़ बयासी लाख पैंसठ हजार मात्र) (जी0एस0टी0 सहित) की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अब तक रू0 299.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर की अवस्थापना को उन्नत कराये जाने के अन्तर्गत मुख्य संग्रहालय भवन से लगे विस्तारित भवन के प्रथम तल के दो प्रदर्शनी हॉल के उन्नयन हेतु रू0 582.65 लाख (रू0 पांच करोड़ बयासी लाख पैंसठ हजार मात्र) (जी0एस0टी0 सहित) की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में **रू0 177.40 लाख (रूपये एक करोड़ सतहत्तर लाख चालीस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) शासनादेश संख्या- 134/2024/786/चार-2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या- 325 /2024 / 2146 /चार-2024-1881/ 2020 दिनांक 11 सितम्बर, 2024 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

(2) वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों से सम्बन्धित सामग्री की लागत प्रायोजना में उपभोग (CONSUMED) की गयी सामग्री यथा-सीमेन्ट, स्टील इत्यादि की मात्राओं का अनुपातिक मिलान करते हुए जी०एस०टी० भुगतान किया जाये।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अविधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(5) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 10 मार्च, 2025 के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(7) परियोजना निर्माण की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ द्वारा समय-समय पर भौतिक निरीक्षण करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(8) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(10) उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा गुणवत्ता प्रमाण पत्र आदि संस्कृति विभाग, उ0 प्र0 शासन तथा उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 1,77,40,000 (रुपये एक करोड़ सतहत्तर लाख चालीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202048005300 राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर की अवस्थापना सुविधाओं हेतु **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महाप्रबंधक, सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार,जवाहर भवन, लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर।
6- उप निदेशक, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर।
7- आहरण एवं वितरण अधिकारी- संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ/ आहरण एवं वितरण अधिकारी, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर।
8- परियोजना प्रबंधक, सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, निर्माण इकाई- 42, गोरखपुर।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in